

निर्वाचन प्रबन्ध समिति की सूची
सनातन धर्म इण्टर कालिज, कंकरखेडा, मेरठ।

क्रम	नाम सदस्य	सदस्यता का प्रकार	पता	मोबा नं०
1	श्री हृदय प्रकाश शर्मा	अध्यक्ष	226, सुभाष पुरी कंकरखेडा, मेरठ।	9997072442
2	श्री नरोत्तम कुमार शर्मा	उपाध्यक्ष	एल-51, शास्त्रीनगर, मेरठ।	9411066413
3	डा० राजेश कपूर	प्रबन्धक	6/90, अन्नापुरी, कंकरखेडा, मेरठ।	9650900871
4	श्री विश्वभोहन नोटियाल	उपप्रबन्धक	106, उदयपार्क, पल्लवपुरम मेरठ।	9358416118
5	श्री जयचन्द वर्मा	कोषाध्यक्ष	45, पटेलपुरी, कंकरखेडा, मेरठ।	9456655071
6	श्री दिव्येश गुप्त	सदस्य	338, बच्चापार्क, प०क० मेरठ।	9897040761
7	श्री अजय कुमार मित्तल	सदस्य	97, खन्दाक, मेरठ।	9719545759
8	डा० रवि दत्त भाटिया	सदस्य	गुरु नानक बाजार, कंकरखेडा, मेरठ।	9897607552
9	श्री पवन भार्गव	सदस्य	भार्गव आइस फैक्ट्री नौचन्दी ग्राउन्ड, मेरठ।	9412203596
10	श्री अशोक कुमार भाटिया	सदस्य	आर्य नगर, कंकरखेडा, मेरठ।	9837027652
11	श्री अनिल कुमार गुप्ता	सदस्य	401, प्रभात नगर, मेरठ।	9897426275
12	श्री कृष्ण कुमार गुप्ता	सदस्य	35, बडा बाजार, कंकरखेडा, मेरठ।	9997812281
13	श्री जीत सोबती	सदस्य	45, आर्यनगर, कंकरखेडा, मेरठ।	9219557079
14	श्री मुकेश वालिया	सदस्य	47, विजय नगर, मेरठ।	9837156256
15	श्री रवि बोहरा	सदस्य	सैक्टर-6, म०न०-9, शास्त्रीनगर, मेरठ।	9897205205
16	श्री कृष्ण गोपाल पाण्डेय	प्रधानाचार्य स०ध०इ०का० कंकरखेडा	मानसरोवर, मेरठ।	9720275643
7	अध्यापक प्रतिनिधि			
8	अध्यापक प्रतिनिधि			

(डा० राजेश कपूर)

मंत्री
महामायी शिक्षा समिति
कंकरखेडा मेरठ

सनातन धर्म इण्टर कॉलिज कंकरखेडा, मेरठ

कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जयेष्ठता क्रम 2021-22 सूची

क्रम सं०	नाम शिक्षणेत्तर कर्मचारियों	पद	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	पदोन्नति तिथि	शैक्षिक योग्यता	हस्ताक्षर
लिपिक वर्ग							
1	श्री देवेन्द्र सिंह	वरिष्ठ सहायक	17.7.1978	01.10.2009	04.02.2015	एम० कॉम०	
2	श्री गोपाल सिंह	स० लि०	02.02.1975	29.09.1995	01.11.2012	इण्टर	
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी							
1	श्री विजय कुमार	दफ्तरी	08.12.1965	10.09.2002	01.06.2014	पाँचवी पास	
2	श्री शिव कुमार	परिचारक	10.02.1979	05.09.2007		बी०ए०	
3	श्री अरुण कुमार	परिचारक	10.02.1981	14.11.2008		बी०ए०	
4	श्री प्रमोद कुमार	परिचारक	07.07.1983	14.11.2008		दसवी	
5	श्री रवि प्रकाश	परिचारक	20.11.1985	14.11.2008		एम०ए०	
6	श्री विपिन कुमार	परिचारक	01.04.1983	10.08.2010		आठवी पास	
7	श्री मनोज कुमार	परिचारक	18.05.1986	10.08.2010		आठवी पास	
8	श्री संजय कुमार	सफाई कर्मचारी	05.03.1987	09.01.2013		नवी पास	

(कृष्ण गोपाल पाण्डेय)
प्रधानाचार्य
सनातन धर्म इण्टर कॉलिज
कंकर खेडा मेरठ

(राजेश कपूर)
प्रबन्धक
सनातन धर्म इण्टर कॉलिज
कंकर खेडा मेरठ

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक.....099322

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

दिनांक 22/3/22

संख्या 4861



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 378

पत्रावली संख्या 5860-आई

दिनांक 1953-1954

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि महामयी शिक्षा समिति.....
कंकरखेड़ा, जिला- मेरठ

.....को

295

12-01-1954

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रदिनांक को दिनांक
10-10-2020

..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1950

.....रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है

16-03-2022

जारी करने का दिनांक.....

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

10एस10यू0पी0-ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स-21-11-2014-(1374)-2,00,000 प्रतियां-(क0/टी0/आफसेट)।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में

प्रबन्धक,

सनातन धर्म जूनियर हाई स्कूल,
कांकरपेड़ा, मेरठ।

पत्र-संख्या मान्यता/ 2224 इलाहाबाद, दिनांक 9-6-1956

आपको सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने मान्यता समिति के निश्चयानुसार अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत आदेश प्रदान किया है कि सनातन धर्म जूनियर हाई स्कूल, कांकरपेड़ा, मेरठ।

को

१९५६ की हाई स्कूल/ब्रिदरमेडियट-परीक्षा से इस प्रतिबन्ध के साथ नवीन/अतिरिक्त मान्यता प्रदान की जाय कि जिला विद्यालय निरीक्षक/आदेशिक-बालिका विद्यालय-निरीक्षिका, संस्था को ९वीं कक्षा जुलाई, १९५६ से तथा ११वीं कक्षा जुलाई, १९५६ से संचालित करने की आज्ञा देने के पूर्व विद्यालय के अध्यापकगण, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन, स्थान, पुस्तकालय तथा प्राभूत एवं सुरक्षित कोष/आर्थिक स्थिति से पूर्णरूपेण सन्तुष्ट हो जाय साथ ही उन्हें यह पूर्ण रूप से विश्वास हो जाय कि नवीन कक्षाओं को संचालित करने एवं शिक्षा को सुसंपादित करने का समस्त व्यय संस्था स्वयंभेव वहन करेगी तथा निम्नलिखित विशेष प्रतिबन्धों की भी पूर्ति कर वेगी :-

वर्ग	अनिवार्य	वैकल्पिक विषय
साहित्यिक	१- हिन्दी २- अंग्रेजी ३- गणित	१- इतिहास २- भूगोल ३- नैसर्गिक शास्त्र ४- कथशास्त्र ५- संस्कृत ६- कला
<u>विशेष प्रतिबन्ध:-</u> (क) उपर्युक्त विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों की व्यवस्था तुरन्त की जाय। (ख) सज्जा, शिक्षण सामग्री एवं पुस्तकालय की व्यवस्था निरीक्षक महोदय के सतीषानुसार की जाय।		
टिप्पणी:- वैज्ञानिक वर्ग में वनंक्षित मान्यता न प्रदान की जाय।		

P.T.O.

23/11/02

(२)

आवश्यक सूचना :--(क) उपयुक्त मान्यता उसी तिथि से लागू होगी जिस तिथि को निरीक्षण अधिकारी विद्यालय को शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था से पूर्णरूपेण सन्तुष्ट होकर मान्यता-प्राप्त वर्ग एवं विषय में नवीन (९वीं या ११वीं) कक्षा संचालित करने के लिए संस्था को लिखित अनुमति (Formal Permission) प्रदान करेंगे ।

(ख) यदि निरीक्षण अधिकारी विद्यालय को परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता सम्बन्धी आदेश प्राप्त होने की तिथि से २ माह के अन्तर्गत मान्य वर्ग/विषय में नवीन (९वीं या ११वीं) कक्षा संचालित करने की अनुमति प्रदान करेंगे तो यह समझ लिया जायगा कि विद्यालय को मान्यता प्रदान ही नहीं की गई थी ।

भवदीय,

कृते सचिव,
20/11/02
24/11/02

पृष्ठांकन संख्या मान्यता/

इलाहाबाद, दिनांक _____ १९५ _____ ई० ।

प्रतिलिपि निम्नाधिकारियों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :--

- (१) जिला विद्यालय निरीक्षक/प्रादेशिक-मालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ
- (२) प्रादेशिक उप-शिक्षा संचालक, मेरठ
- (३) शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (अर्थ विभाग)
- (४) हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा विभाग

कृते सचिव,

Handwritten signature

File 438/80
21/11

पत्र सं.

केन्द्रीय सचिव,
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद,
केन्द्रीय कार्यालय, मेरठ।

दिनांक

पुनः सं.

पत्रांक: ३७० एच० एच० डि० प०/मान्यता/२००१/२०३ दिनांक ५-१२-२००१
विषय: आपका इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए कम्प्यूटर की मान्यता का प्रस्ताव पत्र।

मान्यता की राशियां संख्या: 1160/19*7-2001*4/203/2001 दिनांक
31 मई 2001 द्वारा परिषद के विनियमों के अन्तर्गत 19 वीं को द्वारा
7-सीईई के अन्तर्गत आपके विद्यालय को कम्प्यूटर की मान्यता परिषद की
की इन्टरमीडिएट परीक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने का आदेश प्रदान किया जा रहा
है।

साध्य प्रतिबन्ध

- 1- इस मान्यता पत्र निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिना विद्यालय
निरीक्षक एवं परिषद को 11 वीं कक्षा स्थापित करने की विधिगत स्तिका सूचना
रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाये, अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त नहीं
कायेगी।
- 2- साज सजा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- 3- इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम
योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने क्वॉटों में व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी
होगी।
- 4- नवीन स्थापना स्थापित करने के अन्तर्गत संस्था/विद्यार्थी स्वयं बहन करेंगे।

॥ ३००३०॥

सत्य प्रतिलिपि
प्रधानाचार्य
भनाबन धर्म इन्टर कॉलेज
कंकरखेड़ा, मेरठ

पत्र सं.

1-1-2001
2-1-2001

3-1-2001
4-1-2001

दिनांक

पुनः सं.

विषय: - आपका 11 वीं कक्षा स्थापना की तिथि, परिषदों को सूचित करने के लिए
आपका पत्र प्राप्त हुआ है, परिषदों को सूचित करने के लिए 11 वीं
कक्षा पर मान्यता प्रदान की जा रही है।

केन्द्रीय सचिव,
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद,
केन्द्रीय कार्यालय, मेरठ।

पत्रांक संख्या: ३७० एच० एच० डि० प०/मान्यता/२००१/२०३

पुनः संख्या: 1160/19*7-2001*4/203/2001

विषय: - आपका 11 वीं कक्षा स्थापना की तिथि, परिषदों को सूचित करने के लिए
आपका पत्र प्राप्त हुआ है, परिषदों को सूचित करने के लिए 11 वीं
कक्षा पर मान्यता प्रदान की जा रही है।

- 1- शिक्षा विभाग, मेरठ
- 2- राष्ट्रीय शिक्षा परिषद
- 3- शिक्षा विभाग, दिल्ली
- 4- शिक्षा विभाग, कानपुर
- 5- शिक्षा विभाग, बनारस

केन्द्रीय सचिव,
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद,
केन्द्रीय कार्यालय, मेरठ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
मेरठ।

प्रबन्धक,
सनातन धर्म इण्टर कॉलेज,
कैरतपुरा मेरठ।

पत्रांक: शि0स0-3/ 6504-06 /97-98 दिनांक: 8-10-97

विषय: विद्यालय को इण्टर वाणिज्य वर्ग की मान्यता की कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

19/10/97

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 16.9.1997 एवं क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के पत्र सं0 640 दिनांक 29.8.1997 के द्वारा इण्टरमीडियेट शिक्षा संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 7(क) एवं 9(4) के अन्तर्गत प्रदत्त इण्टर वाणिज्य वर्ग की वित्तविहीन मान्यता की कक्षा संचालन की अनुमति परिषद की परीक्षा 1999 से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टर/वाणिज्य	हिन्दी, अंग्रेजी, बहीखाता तथा लेखाशास्त्र, व्यापारिक संगठन पत्र व्यवहार एवं बाजार विवरणी	अधिकोषण तन्त्र औद्योगिक संगठन

- प्रतिबन्ध:
- 1. प्रबन्ध तंत्र का प्रस्ताव पारित कर कि "इण्टर वाणिज्य की मान्यता हेतु निजी स्रोतों से की जाने वाली अंशकालिक अध्ययन के सेवायोजन व्यवस्था को अध्यापन कार्य के निमित्त स्वीकार किया जाता है इस हेतु किसी अनुदान की अपेक्षा न कर निजी स्रोतों से व्यय वहन किया जायेगा"।
 - 2. 5000/- प्रतिश्रुत जमा प्रमाण पत्र जो प्राप्त एवं सुरक्षित को के अतिरिक्त होगा।
 - 3. वर्तमान में प्रयोगात्मक सज्जा शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकालय स्थिति एक माह में स्पष्ट करें।
 - 4. भवन में 20x25 फिट माप के 3 कमरे व 20x30 फीट का कमरा कुल 4 कमरे एक वर्ष के अन्दर निर्माण करा दिया जा

19/10/97

भवदीय

मंजु शर्मा
जिला विद्यालय निरीक्षक
मेरठ।

पू0सं0: शि0स0-3/

/97-98 उक्त तिथि को

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उप शिक्षा निदेशक, मा0 प्रथम मण्डल, मेरठ।
2. क्षेत्रीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

मंजु शर्मा
जिला विद्यालय निरीक्षक
मेरठ।

विद्योप प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मास्यता संबंधी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है, तो विद्यालय को प्रदत्त मास्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) 3 प्रयोगशाला घंटे और 2 घंटे दिया जायेगा।

यदि वर्तमान में मास्यता वर्ष का शि० हेतु 500 रु० मूल्य की तथा अग्रेष्ठ हेतु 5000 रु० मूल्य की शिक्षण सामग्री और उपकरण दिए जायेंगे।

घ. अग्रेष्ठ में निर्धारित भाव के 2 प्रयोगशाला, 3 प्रयोगशाला से संलग्न 33 3 प्रयोगशाला का तथा 1 पुस्तकालय का कुल 9 घंटे और उपकरण दिए जायेंगे।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
कक्षा 10	हिन्दी	भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान मण्डल, 1

टिप्पणी—(1) कक्षा 10 में प्रवेश हेतु कम से कम 50 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित प्रतिलिपियों (निवृत्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

नोट:— निरीक्षक कृपया उपरोक्त प्रतिलिपियों को पूर्ण करने हेतु अर्थात् निर्धारित कर दी जाय किन्तु श्रेणी प्रतिलिपियों की पूर्ति के अभाव में कक्षा संचालन की अनुमति दी नहीं जाय।

भवदीय,
अपर सचिव

दिनांक

कक्षा संख्या : उप मा० शि० 10/मास्यता/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- (1) जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय-बालिका-विद्यालय निरीक्षिका। मेरठ
- (2) मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक। मेरठ
- (3) उप शिक्षा निदेशक (सांख्यिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
- (4) हाई स्कूल/इंटरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधानाचार्य

सनातन धर्म इंटर कॉलेज

कंकरखेड़ा, मेरठ

अपर सचिव।

10 यू० पी० (आर० ई०) 27 मा० शि० 10/425--14-11-91--5,000।

24/11
प्र. रजि. सं. 100/1
24/11/92
24/11/92
24/11/92

रजिस्टर्ड

78

भा-19

रचना,

वेग व,

20
21/11/92
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश,
उप कार्यालय, मेरठ।

प्रकरण,

सनातन धर्म इण्टर

कंकरखेड़ा मेरठ

पत्र संख्या : उप मा 0 वि 0 प 0/माध्यमिक/ 666

मेरठ, दिनांक 6-7-1992

विषय :- जापका हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त (बर्ग/विषय) की मान्यता का प्रावधान-पत्र।

सूचना,

102/1
शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा विभाग की धारा 2(2) के अन्तर्गत आपकी विद्यालय को वास्तव/वास्तविक विद्यालय के रूप में परिषद् की 1994 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित बर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिद्वन्द्वियों के साथ नवीन/अतिरिक्त बर्ग/विषयों की मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) इस पत्र में अंकित बर्ग/विषय की नवीन शर्तों/11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रदाता से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्रान्त, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय-नालिका-विद्यालय निरीक्षिका का पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अवान्य व अनिश्चित होंगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।
- (2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय-नालिका-विद्यालय निरीक्षिका से 9वीं/11वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- (3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार ही जाय। इसके लिए सिंगल पीटेड डेस्क व चैयर्स ही स्वीकार किए जायेंगे।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित स्तुततम योग्यताओं से नियुक्त अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय। किन्तु अतिरिक्त अध्यापकों/अध्यापिकाओं के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय।
- (5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय।
- (6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधानाचार्य
सनातन धर्म इण्टर कॉलेज
कंकरखेड़ा, मेरठ